Production Linked Incentive (PLI) scheme for IT Hardware

The **Round 2** of the **Production Linked Incentive (PLI) scheme for IT Hardware** has been announced by the Government of India.

The **Key Details of PLI IT Hardware Round 2** are as follows:

- **Objective:** Create globally competitive IT Hardware products and cater to rising demand while supporting the creation of a robust electronics & components ecosystem in India
- **Incentive:** Provides an **average incentive of 5%** (includes localization) on net incremental sales of eligible products
  - Applicant must localize PCBA and Assembly in the first year
  - At least one out of the total list of components / sub-assemblies (mentioned in Annexure B of the notification) must be localized from the second year onwards
  - **Additional incentives are provided for increased localization!**
  - Incentives are provided if eligibility on basis of incremental sales and incremental investment are met (as mentioned in Annexure A of notification)
- **Eligible Products** / Target Segments: *Laptops, Tablets, All-in-One PCs, Servers, Ultra Small Form Factor (USFF)*
- **Tenure of the Scheme:** 6 years
- **Budgetary Outlay: US$ 2.1 Bn** (INR 17,000 Crore) will be provided as fiscal incentives to approved applicants
- PLI 2.0 for IT Hardware **shall be open for applications for only 45 days initially** which may be extended.

Incentives offered by State Governments in India will be over and above incentives under the PLI scheme, i.e, investors can leverage both Central and State Government incentives for electronics manufacturing.

Ministry of Electronics and Information Technology
Government of India

INVEST INDIA
NATIONAL INVESTMENT PROMOTION & FACILITATION AGENCY

Revitalizing IT Hardware Manufacturing in India

India is one of the world's fastest growing electronics manufacturing hubs and is expected to become a USD 1 Tn digital economy by FY26. This growth is due to rapid digitalization, increasing electronics penetration and the creation of a conducive policy environment.

USD 105 Bn
Production*
(FY23)

USD 24 Bn
Exports*
(FY23)

17%
Production CAGR
(FY16-23)

USD 30 Bn
Incentives for
Electronics & Allied Sectors

To continue this momentum, Government has reopened the Production Linked Incentive (PLI) scheme for IT Hardware and welcomes global Industry players to start your manufacturing journey in India.

*Electronics

Round 2 for PLI IT Hardware

OBJECTIVE

Create globally competitive IT Hardware products and cater to rising demand while supporting the creation of a robust components ecosystem in India

ELIGIBLE PRODUCTS

Laptops, Tablets, All-in-One PCs, Servers, Ultra Small Form Factor (USFF) devices

INCENTIVES

- **Average incentive: 5% on incremental sales over base year* (including localization)**
- **Scheme Tenure: 6 years**
- **Additional incentives offered on localization of sub-assemblies, electronics components and semiconductors**

BUDGETARY OUTLAY

Incentives worth USD 2.1 Bn will be awarded across 6 years

BE A PART OF THE NEW INDIA GROWTH STORY

* Base year to be chosen for computation of net incremental sales during the scheme tenure

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052023-246165
CG-DL-E-30052023-246165

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128] नई दिल्ली, सोमवार, मई 29, 2023/ज्येष्ठ 8, 1945
No. 128] NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 2023/JYAISHTHA 8, 1945

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(आई पी एच डब्ल्यू विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2023

विषय: आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना - पीएलआई 2.0

सं. डब्ल्यू-17/9/2021-आई पी एच डब्ल्यू.—

1. **पृष्ठभूमि**

1.1 इलेक्ट्रॉनिकी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग का प्रतिस्पर्धी (क्रॉस कटिंग) आर्थिक और रणनीतिक महत्व है। सरकार विनिर्माण के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और विनिर्माण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए अन्य देशों में दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की तुलना में प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।

1.2 भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर उत्पादन लगभग 15% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से 2016-17 में 3.17 लाख करोड़ रु. (42 बिलियन अमरीकी डॉलर) से बढ़कर 2021-22 में 6.40 लाख करोड़ रु. (87.1 बिलियन अमरीकी डॉलर) हो गया है। उद्योग के अनुमान के अनुसार, वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी 2014 में 1.2% से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 3.75% हो गई है । इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर की घरेलू मांग वित्त वर्ष 2026 तक तेजी से बढ़कर लगभग 300 अरब डॉलर होने की उम्मीद है, भारत इलेक्ट्रॉनिकी के आयात के कारण तेजी से बढ़ती विदेशी मुद्रा खर्च को वहन नहीं कर सकता है।

1.3 यह विभिन्न शोधों के माध्यम से स्थापित किया गया है कि पीसी से शासन में सुधार, शिक्षा तक पहुंच और उत्पादकता पर प्रभाव पड़ा है। जबकि जानकारी और डेटा की खपत तेजी से स्मार्टफोन और मोबाइल उपकरणों में परिवर्तित हो रही है, व्यक्तिगत कंप्यूटिंग डिवाइस अभी भी जानकारी निर्माण का मुख्य आधार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका (प्रति 1000 लोगों के लिए 784) और चीन (प्रति 1000 लोगों पर 41) की तुलना में भारत का पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) प्रवेश 15 प्रति 1000 लोगों पर काफी कम है, और इस प्रकार महत्वपूर्ण विकास के अवसर प्रस्तुत करता है।

1.4 पिछले कुछ वर्षों में, देश में आईटी हार्डवेयर विनिर्माण समर्थता और क्षमता में उत्तरोत्तर गिरावट आई है और कई इकाइयों ने या तो परिचालन बंद कर दिया है या कम क्षमता पर काम कर रहे हैं। वर्तमान में, भारत में लैपटॉप और टैबलेट की मांग को 2021-22 में क्रमशः 7.416 बिलियन अमरीकी डालर और 0.597 बिलियन अमरीकी डालर के आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है (आयात के बाजार मूल्य पर उद्योग के अनुमानों के अनुसार)। देश में विनिर्माण को तेजी से बढ़ाने के संबंध में अप्रयुक्त स्थापित विनिर्माण क्षमता कम उत्पादकता संबधित है।

1.5 भारत में 1.17 बिलियन से अधिक मोबाइल ग्राहकों और 836.86 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ सबसे तेजी से बढ़ता डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है। इंटरनेट की गहरी पैठ, डिजिटल डेटा ट्रैफिक में वृद्धि, सार्वजनिक क्लाउड सेवाओं, आईओटी उपकरणों और डेटा स्थानीयकरण के लिए सरकार के जोर देने से भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने वाली स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की आमद होगी, जो देश में सर्वर की मांग को और बढ़ावा देगी।

1.6 अन्य उपलब्ध योजनाओं के अंतर्गत उपर्युक्त इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र के लिए अपेक्षित सीमित राहत को देखते हुए, अन्य प्रमुख विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विनिर्माण अक्षमताओं की क्षतिपूर्ति के लिए एक तंत्र की आवश्यकता है। इसके अलावा, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते-1 (आईटीए-1) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत ने आईटी हार्डवेयर सहित 217 टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क लागू किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर भी शामिल है। पिछले कुछ समय में आईटी हार्डवेयर की वैश्विक मांग कम हुई है और वैश्विक मंदी के डर से कुछ समय तक जारी रह सकती है। हालांकि, वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति भारत जैसे देशों के लिए नए अवसर प्रदान करती रहेगी।

1.7 **उभरते अवसरों के साथ समान अवसर:** पीएलआई लार्ज स्केल इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग (मोबाइल और कंपोनेंट) की तरह, आईटी हार्डवेयर विनिर्माण भी प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में समान अवसर की चुनौती का सामना करता है। उद्योग संघ के अनुमानों (स्रोत: आईसीईए और ईएलसीआईएनए) के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और रसद की कमी; वित्त की उच्च लागत; गुणवत्तापूर्ण बिजली की अपर्याप्त उपलब्धता; सीमित डिजाइन क्षमताओं और उद्योग द्वारा अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना; और कौशल विकास में अपर्याप्तता के कारण लगभग 8.5% से 11% की अक्षमता से ग्रस्त है। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी (मोबाइल और संघटकों) में किए जा रहे अन्य प्रमुख विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अक्षमता की भरपाई करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता है।

1.8 **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति (एनपीई 2019):** एनपीई 2019 का विजन भारत को इलेक्ट्रॉनिकी सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जो देश में चिपसेट सहित मुख्य घटकों को विकसित करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए उद्योग के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए क्षमताओं को प्रोत्साहित कर रहा है।

2. उद्देश्य:

आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना - 2.0 घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती है।

3. प्रोत्साहन की मात्रा:

आईटी हार्डवेयर हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना -2.0 **अनुबंध- ख** में दी गई मदों के स्थानीयकरण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी। आवेदक पहले वर्ष के दौरान पीसीबीए और असेंबली का स्थानीयकरण करेगा और उसके बाद हर साल कम से कम एक घटक/उप-असेंबली जोड़ा जाएगा। पीएलआई आईटी हार्डवेयर के तहत अधिकांश लक्षित सेगमेंट भी सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, इसलिए एसएसडी, मेमोरी मॉड्यूल, डिस्प्ले पैनल जैसे संघटक/उप-असेंबली भी स्थानीयकरण का हिस्सा हैं और भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च प्रोत्साहन

प्रदान किया गया है। स्थानीयकरण के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन में **अनुबंध - ख** के प्रक्षेपवक्र के अनुसार प्रत्येक वर्ष कमी आएगी।

4. लक्ष्य सेगमेंट :

पीएलआई 2.0 योजना के तहत लक्ष्य सेगमेंट में (i) लैपटॉप (ii) टैबलेट (iii) ऑल-इन-वन पीसी (iv) सर्वर और (v) अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (यूएसएफएफ) शामिल होंगे ।

5. पात्रता: पीएलआई 2.0 योजना के तहत भारत में माल के विनिर्माण (लक्ष्य सेगमेंट के तहत शामिल) के लिए मौजूदा पीएलआई के योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली वैश्विक और घरेलू कंपनियों को सहायता प्रदान की जाएगी। हाइब्रिड (वैश्विक/घरेलू) श्रेणी के तहत आवेदकों की पात्रता कंपनी के प्रकार यानी घरेलू या वैश्विक के आधार पर तय की जाएगी और आवेदकों की एक संयुक्त रैंकिंग उनके विनिर्माण राजस्व के आधार पर रखी जाएगी जैसा कि योजना के दिशानिर्देशों में बताया गया है। इसके बाद, प्रत्येक श्रेणी यानी वैश्विक, हाइब्रिड और घरेलू के तहत आवेदकों का चयन, आवेदक की रैंकिंग और बजट की उपलब्धता के अधीन उनके समग्र पीएलआई प्रक्षेपण के आधार पर किया जाएगा।

5.1 योजना के तहत समर्थन के लिए प्रति आवेदक अनुमत आवेदनों की संख्या एक (1) तक सीमित होगी।

5.1.1 मौजूदा पीएलआई योजना के आवेदक, जिन्होंने किसी भी प्रोत्साहन का दावा नहीं किया है, उन्हें नए प्रवेशकर्ता के रूप में संशोधित पीएलआई 2.0 योजना में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे चुने गए हों।

5.1.2 मौजूदा पीएलआई योजना के आवेदक, जो प्रोत्साहन (वर्ष 1/वर्ष 2) का दावा करना चाहते हैं, उन्हें अगले वर्ष(वर्ष 2/वर्ष 3) से संशोधित पीएलआई 2.0 योजना में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए प्रोत्साहन राशि का दावा नहीं किया गया है बशर्ते उनका चयन हो। ऐसे मामलों में, मौजूदा पीएलआई योजना के कार्यकाल के दौरान किए गए उनके निवेश को संशोधित पीएलआई 2.0 योजना के तहत पात्र निवेश माना जाएगा ।

5.2 पात्रता **अनुबंध- क** में उल्लिखित वृद्धिशील निवेश की सीमा और विनिर्मित वस्तुओं (लक्षित सेगमेंट के अंतर्गत कवर) की नेट वृद्धिशील बिक्री की सीमा के अधीन होगी ।

5.2.1 पीएलआई 2.0 में प्रस्तावित निवेश सीमाएं निम्नानुसार हैं:

वर्ष	**वैश्विक कंपनियां (6 वर्षों में रु. 500 करोड़)**	**हाइब्रिड (वैश्विक/घरेलू) कंपनियां (6 वर्षों में रु. 250 करोड़)**	**घरेलू कंपनियां (6 वर्षों में रु. 20 करोड़)**
वर्ष 1	50	25	4
वर्ष 2	150	75	8
वर्ष 3	250	125	12
वर्ष 4	350	175	15
वर्ष 5	450	225	18
वर्ष 6	500	250	20

5.2.2 अनुबंध विनिर्माण सुविधाओं में किए गए निवेश को आवेदक के निवेश के रूप में गिना जाएगा। यह छूट मौजूदा पीएलआई योजना में संशोधन डब्ल्यू-17/9/2021-आईपीएचडब्ल्यू दिनांक 30 दिसंबर, 2021 के तहत प्रदान किया गई थी, यह जारी रहेगा ।

5.2.3 पीएलआई 2.0 में, आवेदकों को प्रत्येक वर्ष के लिए वृद्धिशील निवेश सीमा को पूरा करने के लिए संघटकों/उप-असेम्बलियों आदि के विनिर्माताओं द्वारा किए गए वृद्धिशील निवेश की गणना करने की भी अनुमति दी जाएगी, बशर्ते यह स्थापित हो कि ऐसा निर्माता विशेष रूप से आवेदकों के लिए संघटकों/उप-असेम्बलियों का निर्माण कर रहा है।

5.2.4 यदि किसी विशेष वर्ष के लिए X% द्वारा निवेश में कमी होती है, तो आवेदक को X/2% कम पीएलआई मिलेगा, बशर्ते कमी (X%) 40% से अधिक न हो। हालांकि, यदि कोई आवेदक अगले वर्ष में संचयी निवेश लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम है तो रोकी गई पीएलआई राशि बिना ब्याज के जारी की जाएगी।

5.3 आवेदक प्रत्येक वर्ष के लिए वृद्धिशील बिक्री की अपनी प्रतिबद्धताओं और प्रत्येक वर्ष के लिए अपेक्षित प्रतिशत प्रोत्साहन के आधार पर प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमानित पीएलआई राशि प्रदान करेंगे जो कंपनी की स्थानीयकरण योजना और आधारभूत बिक्री पर निर्भर करेगा।

5.4 पीएलआई 2.0 के लाभार्थी एमईआईटीवाई द्वारा यथा प्रमाणित भारतीय स्रोतों या अन्य विश्वसनीय विदेशी स्रोतों से सर्वर के लिए फर्मवेयर का उपयोग करेंगे।

5.5 पीएलआई 2.0 के तहत पात्रता, किसी अन्य योजना के तहत पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी और विलोमतः दूसरी योजना की पात्रता इस योजना की पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी ।

6. **योजना की अवधि:** पीएलआई 2.0 योजना के तहत समर्थन छह (6) वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जायेगा।

6.1 पीएलआई 2.0 योजना शुरू में पैंतालीस (45) दिनों की अवधि के लिए आवेदन के लिए खोली जायेगी जिसे बढ़ाया भी जा सकता है।

6.2 पीएलआई 2.0 योजना को इन्डस्ट्रि की माँग के आधार पर अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय आवेदन के लिए फिर से खोला जा सकता है।

6.3 प्रारंभिक आवेदन अवधि के बाद प्राप्त आवेदनों के लिए, आवेदक केवल योजना के शेष कार्यकाल हेतु प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे जो 31.03.2031 को समाप्त होगा ।

7. **आधार वर्ष:**

वित्तीय वर्ष 2022-23 को विनिर्मित वस्तुओं की नेट वृद्धिशील बिक्री की गणना के लिए आधार वर्ष माना जाएगा। यदि कोई आवेदक 1.04.2024 से या 1.04.2025 से भाग लेना चाहता है तो क्रमशः वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 को निर्मित वस्तुओं की नेट वृद्धिशील बिक्री की गणना के लिए आधार वर्ष माना जाएगा। हालांकि योग्यता मानदंड के उद्देश्य से, वित्त वर्ष 2021-22 आधार वर्ष माना जाएगा।

8. **प्रोत्साहन परिव्यय**

8.1 **कुल प्रोत्साहन:** पीएलआई 2.0 योजना के तहत अपेक्षित संचयी प्रोत्साहन परिव्यय निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**कुल प्रोत्साहन (रु. करोड़)**
वर्ष 1	321
वर्ष 2	754
वर्ष 3	1,431
वर्ष 4	3,555
वर्ष 5	4,759
वर्ष 6	6,118
कुल	**16,939**

प्रोत्साहन 1 जुलाई, 2023 से या 1.04.2024 या 1.04.2025 से 6 साल के लिए पीएलआई 2.0 योजना के आवेदकों की पसंद के आधार पर वृद्धिशील निवेश और वृद्धिशील बिक्री के लिए लागू होंगे

नोट:1. उपर्युक्त गणना इस धारणा पर आधारित है कि सभी आवेदक वित्त वर्ष 01.07.2023 से उत्पादन शुरू कर देंगे। यदि आवेदक 1.04.2024/1.04.2025 से विनिर्माण शुरू करने का विकल्प चुनते हैं, तो वार्षिक प्रोत्साहन व्यय तदनुसार अगले वर्ष में स्थानांतरित हो जाएगा ।

2. प्रोत्साहन के पहले वर्ष के लिए, पात्र बिक्री पहली जुलाई 2023 से शुरू होने वाले 9 महीनों के लिए मानी जाएगी, जिसके लिए प्रोत्साहन का दावा किया जा रहा है। बेसलाइन बिक्री वित्त वर्ष 2022-23 की इसी अवधि के लिए मानी जाएगी । यदि आवेदक 1.04.2024 / 1.04.2025 से विनिर्माण शुरू करना चुनते हैं, तो बेसलाइन बिक्री की गणना तदनुसार की जाएगी।

8.2 **प्रति कंपनी प्रोत्साहन:** प्रति कंपनी प्रोत्साहन आधार वर्ष में विनिर्मित वस्तुओं (लक्ष्य सेगमेंट के अंतर्गत शामिल) की नेट वृद्धिशील बिक्री पर लागू होगा, जो वैश्विक कंपनियों के लिए 4,500 करोड़ रुपये, हाइब्रिड (वैश्विक/घरेलू) कंपनियों के लिए 2,250 करोड़ रुपये और घरेलू कंपनियों के लिए 500 करोड़ रुपये की सीमा के अध्यधीन होगा।

8.3 व्यक्तिगत वर्ष के लिए आवेदक द्वारा प्रदान की गई अनुमानित पीएलआई राशि सीमा के रूप में कार्य करेगी। योजना में प्रोजेक्शन अनुशासन बनाए रखने के लिए, किसी भी वर्ष के लिए वास्तविक पीएलआई राशि 25% -50% से कम होने पर देय पीएलआई राशि से 5% के जुर्माने और आवेदन के समय आवेदक द्वारा दी गई अनुमानित पीएलआई राशि से 50% से अधिक कमी होने पर 10% का जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा।

8.4 आवेदक किसी विशेष वर्ष के लिए सीमा से अधिक प्रोत्साहन प्राप्त करने में सक्षम होंगे, बशर्ते कि उस वर्ष में किसी भी आवेदक के कारण समग्र बचत हो, जो वैश्विक कंपनियों के लिए 4,500 करोड़ रुपये, हाइब्रिड (वैश्विक/घरेलू) कंपनियों के लिए 2,250 करोड़ रुपये और घरेलू कंपनियों के लिए 500 करोड़ रुपये की समग्र सीमा के अधीन होगा। पीएलआई बचत प्रो रेटा आधार पर वितरित की जाएगी। यह संवितरण एक वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाएगा। इस संबंध में कार्यप्रणाली को योजना दिशानिर्देशों में विस्तृत किया जाएगा।

9. **अभिकलन का आधार**

9.1 वृद्धिशील निवेश और विनिर्मित वस्तुओं और नेट बिक्री का आकलन आवेदकों द्वारा मंत्रालय/एजेंसियों को प्रस्तुत विवरणों पर आधारित होगा ।

10. **अनुमोदन और संवितरण प्रक्रिया**

10.1 इस योजना के तहत आवेदन भारत में पंजीकृत किसी भी कंपनी द्वारा किया जा सकता है।

10.2 सभी पहलुओं में पूर्ण, वर्ष-वार पीएलआई राशि के साथ एक प्रारंभिक आवेदन, नियत तिथि से पहले प्रस्तुत करना होगा । उसके बाद, पात्र आवेदकों को प्रत्येक श्रेणी यानी वैश्विक, हाइब्रिड (वैश्विक/घरेलू प्लेयर्स) श्रेणी और घरेलू श्रेणी के लिए निर्धारित बजट परिव्यय की उपलब्धता के बशर्ते योग्यता मानदंड के अनुसार अनुमोदन जारी किया जाएगा।। हालांकि, सभी आवेदकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, यदि बचत होती है तो इसका उपयोग अन्य श्रेणी के लिए किया जा सकता है। हालांकि, इस तरह की बचत का उपयोग न तो समग्र वित्तीय परिव्यय को भंग करेगा और न ही बाद में चुकाने के लिए राजकोषीय देनदारियों का निर्माण करेगा।

10.3 पात्र आवेदकों को प्रोत्साहन जारी किया जाएगा बशर्ते वे आवश्यक पात्रता सीमा को पूरा करते हों और उनके संवितरण दावे क्रम में हों ।

10.4 योजना के तहत आवेदकों द्वारा चुने अनुसार 1.07.2023 या 1.04.2024 या 1.04.2025 से शुरू होने वाले छह (6) वर्षों की अवधि के लिए सहायता प्रदान की जाएगी ।

11. **नोडल एजेंसी**

11.1 आईटी हार्डवेयर हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना - 2.0 को एक नोडल एजेंसी के माध्यम से लागू किया जाएगा। मैसर्स आईएफसीआई लिमिटेड को आईटी हार्डवेयर के लिए मौजूदा पीएलआई योजना के लिए पीएमए के रूप में नियुक्त किया गया है । पीएमए सचिवीय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने और समय-समय पर एमईआईटीवाई द्वारा सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है । योजना के दिशा-निर्देशों में पीएमए के विस्तृत गठन, कार्यप्रणाली और उत्तरदायित्वों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।

12. **सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस)**

12.1 सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) पीएलआई 2.0 योजना की समग्र प्रगति की निगरानी और समीक्षा करेगा । यदि किसी एक अनुमोदित सेक्टर की एक पीएलआई योजना में बचत होती है, तो ईजीओएस के अनुमोदन के साथ, बचत का उपयोग दूसरे अनुमोदित सेक्टर की पीएलआई योजना के लिए किया जा सकता है। (नीति आयोग के आदेश फाइल सं 13(176)2020 आईएंडएम (आई) दिनांक 20.11.2020)

12.2 ईजीओएस पीएलआई योजना के अवधि के दौरान उपयुक्त समझी जाने वाली प्रोत्साहन दरों, अधिकतम सीमा, लक्ष्य सेगमेंट, स्थानीयकरण के लिए वस्तुओं की सूची, समग्र बचत के उपयोग, पात्रता मानदंड और अप्रत्याशित परिस्थितियों के तहत छूट को संशोधित कर सकता है।

13. **योजना दिशानिर्देश:**

पीएलआई 2.0 योजना संबंधी दिशानिर्देश इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।

14. **योजना और दिशानिर्देशों का संशोधन**:

पीएलआई 2.0 योजना और इसके दिशानिर्देशों का इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन से समय-समय पर या आवश्यकता के अनुसार समीक्षा और संशोधन किया जाएगा।

अमितेश कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव

अनुबंध- क

पात्रता सीमा मानदंड

वर्ग	दिनांक 31.03.2022 के बाद वृद्धिशील निवेश	आधार वर्ष में विनिर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री
वैश्विक आईटी हार्डवेयर कंपनियां *(i) लैपटॉप (30,000 रुपये और उससे अधिक का इनवॉयस मूल्य),* *(ii) टैबलेट (15,000 रुपये और उससे अधिक का इनवॉयस मूल्य),* *(iii) ऑल-इन-वन पीसी* *(iv) सर्वर* *(v)* अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (यूएसएफएफ)	**6 वर्ष में 500 करोड़ रुपये** ***संचयी न्यूनतम*** (करोड़ में): वर्ष 1: 50 करोड़ रुपये वर्ष 2: 150 करोड़ रुपये वर्ष 3: 250 करोड़ रुपये वर्ष 4: 350 करोड़ रुपये वर्ष 5: 450 करोड़ रुपये वर्ष 6: 500 करोड़ रुपये	वर्ष 1: 1,000 करोड़ रुपये वर्ष 2: 2,500 करोड़ रुपये वर्ष 3: 5,000 करोड़ रुपये वर्ष 4: 10,000 करोड़ रुपये वर्ष 5: 12,000 करोड़ रुपये वर्ष 6: 15,000 करोड़ रुपये
हाइब्रिड (वैश्विक/घरेलू) कम्पनियाँ *(i) लैपटॉप (30,000 रुपये और उससे अधिक का इनवॉयस मूल्य),* *(ii) टैबलेट (15,000 रुपये और उससे अधिक का इनवॉयस मूल्य),* *(iii) ऑल-इन-वन पीसी* *(iv) सर्वर* *(v)* अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (यूएसएफएफ)	**6 वर्ष में 250 करोड़ रुपये** ***संचयी न्यूनतम*** (करोड़ में): वर्ष 1: 25 करोड़ रुपये वर्ष 2: 75 करोड़ रुपये वर्ष 3: 125 करोड़ रुपये वर्ष 4: 175करोड़ रुपये वर्ष 5: 225 करोड़ रुपये वर्ष 6: 250 करोड़ रुपये	वर्ष 1: 500करोड़ रुपये वर्ष 2: 1,250 करोड़ रुपये वर्ष 3: 2,500 करोड़ रुपये वर्ष 4: 5,000 करोड़ रुपये वर्ष 5: 6,000 करोड़ रुपये वर्ष 6: 7,500 करोड़ रुपये
घरेलू कंपनियां *(i) लैपटॉप* *(ii) टैबलेट* *(iii) ऑल-इन-वन पीसी* *(iv) सर्वर* *(v)* अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (यूएसएफएफ)	***संचयी न्यूनतम*** (करोड़ में): वर्ष 1: 4 करोड़ रुपये वर्ष 2: 8 करोड़ रुपये वर्ष 3: 12 करोड़ रुपये वर्ष 4: 15 करोड़ रुपये वर्ष 5: 18 करोड़ रुपये वर्ष 6: 20 करोड़ रुपये	वर्ष 1: 50 करोड़ रुपये वर्ष 2: 100 करोड़ रुपये वर्ष 3: 200 करोड़ रुपये वर्ष 4: 300 करोड़ रुपये वर्ष 5: 400 करोड़ रुपये वर्ष 6: 500 करोड़ रुपये

नोट: 1. पात्रता के लिए, इनवॉयस मूल्य के बावजूद निर्मित वस्तुओं (लक्ष्य सेगमेंट के तहत कवर) की नेट वृद्धिशील बिक्री पर विचार किया जाएगा।

2. घरेलू कंपनियों को उन कंपनियों के रूप में परिभाषित किया जाएगा जो निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व में हैं जैसा कि 2020 के एफडीआई नीति परिपत्र में परिभाषित किया गया है। एक कंपनी को निवासी भारतीय नागरिकों द्वारा 'स्वामित्व' के रूप में माना जाता है यदि इसमें 50% से अधिक पूंजी लाभकारी रूप से निवासी भारतीय नागरिकों और/या भारतीय कंपनियों के स्वामित्व में है, जो अंततः निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं।

अनुबंध ख

स्थानीयकरण के लिए आइटम

क्र.सं.	संघटक/उप-असेम्बलियाँ	% प्रोत्साहन
1.	आईटी हार्डवेयर - लैपटॉप / टैबलेट / एआईओ की असेंबली (वर्ष-1/वर्ष-2/वर्ष-3/वर्ष 4/वर्ष 5/वर्ष 6))	3/2/1/1/1/0
2.	आईटी हार्डवेयर की असेंबली - सर्वर / यूएसएफएफ (वर्ष -1 / वर्ष -2 / वर्ष - 3 / वर्ष 4 / वर्ष 5 / वर्ष 6)	3/2/2/1/1/0
3.	आईटी हार्डवेयर का पीसीबीए (लक्ष्य सेगमेंट)	1.20
4.	भारत में असेंबल किए गए एड ओन कंट्रोलर्स - (सर्वरों के लिए)	0.41
5.	बेयर पीसीबी	0.57
6.	भारत में असेम्बल मेमोरी मॉड्यूल	0.95
7.	भारत में असेम्बल मेमोरी मॉड्यूल - (सर्वरों के लिए)	1.89
8.	भारत में असेंबल सॉलिड स्टेट ड्राइव (एसएसडी)	0.95
9.	भारत में असेम्बल डिस्प्ले पैनल (सर्वर/यूएसएफएफ के लिए नहीं)	1.49
10.	पावर एडाप्टर/एसएमपीएस	0.41
11	पावर एडाप्टर/एसएमपीएस - (सर्वर के लिए)	0.54
12.	बैटरी	0.41
13.	कैबिनेट्स/चेसिस/एन्क्लोसर्स	1.49
14.	भारत में एटीएमपी के लिए मेमोरी मॉड्यूल अतिरिक्त प्रोत्साहन (आइटम 6 के प्रोत्साहन के ऊपर)	+0.25
15.	भारत में निर्मित आईसी के लिए मेमोरी मॉड्यूल अतिरिक्त प्रोत्साहन (आइटम 6 के प्रोत्साहन के ऊपर)	+0.25
16.	भारत में मेमोरी मॉड्यूल एटीएमपी के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन (आइटम 7 के प्रोत्साहन के ऊपर) (सर्वरों के लिए)	+0.50
17.	भारत में निर्मित आईसी के लिए मेमोरी मॉड्यूल अतिरिक्त प्रोत्साहन (आइटम 7 के प्रोत्साहन के ऊपर) - (सर्वरों के लिए)	+0.50
18.	भारत में एटीएमपी के लिए सॉलिड स्टेट ड्राइव (एसएसडी) अतिरिक्त प्रोत्साहन (आइटम 8 के प्रोत्साहन के ऊपर)	+0.25
19.	भारत में निर्मित आईसी के लिए सॉलिड स्टेट ड्राइव (एसएसडी) अतिरिक्त प्रोत्साहन (आइटम 8 के प्रोत्साहन के ऊपर)	+0.25
20.	डिस्प्ले पैनल - भारत में निर्मित आईसी के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन (आइटम 9 के प्रोत्साहन के ऊपर)	+0.60
21	लैपटॉप, टैबलेट, एआईओ और सर्वर/यूएसएफएफ के लिए भारत में डिजाइन किए गए सिस्टम ऑन चिप (एसओसी) प्रोसेसर (भारत में आईपी स्वामित्व/सह-स्वामित्व) सहित शक्ति और वेगा (भारत के बाहर निर्मित आईसी) तक सीमित नहीं है।	+3.12/3.64
22.	भारत में डिजाइन किए गए सिस्टम ऑन चिप (एसओसी) प्रोसेसर - लैपटॉप, टैबलेट, एआईओ और सर्वर / यूएसएफएफ के लिए भारत में निर्मित एटीपीएमपी / आईसी के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन (आइटम 21 के लिए प्रोत्साहन के ऊपर)	+1.43/1.56

नोट: बैटरी स्थानीयकरण ऑल-इन-वन पीसी, यूएसएसएफ और सर्वर के स्थानीयकरण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(IPHW Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2023

Subject: Production Linked Incentive Scheme - PLI 2.0 for IT Hardware

W-17/9/2021-IPHW.—

1. **Background**

1.1 Electronics permeated all sectors of the economy and the electronics industry has cross-cutting economic and strategic importance. The Government has been actively working to create a conducive environment for manufacturing and to offer incentives comparable with those offered in other countries to attract large investments into the manufacturing sector.

1.2 The domestic production of electronic goods has increased substantially from ₹ 3,17,331 crore (USD 49 billion) in 2016-17 to ₹ 6,40,810 crore (USD 87.1 billion) in 2021-22 growing at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 15%. India's share in global electronics manufacturing has grown from 1.2% in 2014 to 3.75% in FY 2021-22, as per industry estimates. With the domestic demand for electronics hardware expected to rise rapidly to approximately USD 300 billion by FY 2026, India cannot afford to bear the rapidly increasing foreign exchange outgo on account of import of electronics.

1.3 The impact that PCs have had in improving governance, access to education and productivity is established through various research. While consumption of content and data is rapidly transitioning to smartphones and mobile devices, personal computing devices are still the mainstay of content creation. India's Personal Computer (PC) penetration at 15 per 1000 people is significantly lower compared to United States (784 for 1000 people) and China (41 per 1000 people), and thus presents significant growth opportunities.

1.4 Over the years, the IT Hardware manufacturing capability and capacity in the country has progressively declined and many units have either ceased operations or are operating at low capacities. Currently, the laptop and tablet demand in India is largely met through imports valued at USD 7.416 billion and USD 0.597 billion respectively in 2021-22 (as per industry estimates on market value of imports). The unutilized installed manufacturing capacity is a low hanging fruit as regards to quickly scaling up manufacturing in the country.

1.5 India has the fastest growing digital ecosystem with over 1.17 billion mobile subscribers and over 836.86 million internet users. Deeper internet penetration, increase in digital data traffic, public cloud services, IoT devices and the Government's push for data localization, will lead to an influx of local and international players setting up data centers in India, which will further boost server demand in the country.

1.6 Given the limited relief expected for the aforesaid electronics manufacturing sector under other available schemes, there is need for a mechanism to compensate for the manufacturing disabilities vis-à-vis other major manufacturing economies. Also, as a signatory to the Information Technology Agreement (ITA-1) at the World Trade Organization (WTO), India has implemented zero duty regime on 217 tariff lines which inter-alia includes IT Hardware. In the recent past, global demand of IT hardware has reduced and may continue for some time due to fear of global recession. However, current geo-political situation will continue to offer new opportunities for countries like India.

1.7 **Level playing field with emerging opportunities:** Like Large Scale Electronics (Mobile & components) PLI Scheme, IT Hardware manufacturing also faces the challenge of a level playing field vis-à-vis competing nations. As per industry estimates (Source: ICEA and ELCINA), electronics manufacturing sector suffers from a disability of around 8.5% to 11% on account of inadequate infrastructure, domestic supply chain and logistics; high cost of finance; inadequate availability of quality power; limited design capabilities and focus on R&D by the industry; and inadequacies in skill development. There is need for a mechanism to significantly compensate disability vis-à-vis other major manufacturing economies as being done in Large Scale Electronics (Mobile & components).

1.8 **National policy on electronics (NPE 2019):** The vision of NPE 2019 is to position India as a global hub for Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) by encouraging and driving capabilities in the country for developing core components, including chipsets, and creating an enabling environment for the industry to compete globally.

2. **Objective:** The Production Linked Incentive Scheme - 2.0 for IT Hardware proposes a financial incentive to boost domestic manufacturing and attract large investments in the value chain.

3. **Quantum of Incentive:**

The Production Linked Incentive Scheme – 2.0 for IT Hardware shall extend an average incentive of around 5% for localization of items given in **Annexure-B**. The applicant will localize PCBA and Assembly during the first year and thereon at least one component/sub-assembly need to be added every year from the bouquet of optional components/ sub-assemblies provided. Most of the target segments under PLI IT Hardware are also made from semiconductors hence components/sub-assemblies such as SSD, Memory module, display panel are also part of localization and higher incentive has been provided to incentivize manufacturing of Semiconductors in India. Incentive offered for localization shall taper down every year as per the trajectory in **Annexure-B.**

4. **Target Segment:** The Target Segment under PLI 2.0 Scheme shall include (i) Laptops (ii) Tablets (iii) All-in-One PCs (iv) Servers and (v) Ultra Small Form Factor (USFF).

5. **Eligibility:** Support under the PLI 2.0 Scheme shall be provided to global and domestic companies fulfilling the eligibility criteria laid down in the scheme guidelines for manufacturing of goods (covered under the target segment) in India. The eligibility of applicants under Hybrid (Global/Domestic) category shall be decided based on the type of company i.e., domestic or Global. A combined ranking of the applicants shall be maintained based on the eligibility criteria laid down in the scheme guidelines. Thereafter, selection of applicants under each category i.e., global, hybrid and domestic shall be done on the basis of ranking of the applicant and their overall PLI projection subject to availability of budget. Methodology in this regard shall be detailed out in the scheme guidelines.

5.1 The number of applications allowed per applicant for support under the Scheme shall be restricted to one (1).

5.1.1 The applicants of existing PLI Scheme, who have not claimed any incentive will be allowed to participate in PLI 2.0 Scheme as new entrant, provided they are selected.

5.1.2 The applicants of existing PLI Scheme, who wants to claim incentive (Year 1/Year 2), will be allowed to participate in PLI 2.0 Scheme from the next year (Year2/Year3) for which incentive is not claimed provided they are selected. In such cases, their investment done during tenure of existing PLI Scheme will be considered as eligible investment under the PLI 2.0 Scheme.

5.2 Eligibility shall be subject to thresholds of incremental investment and net incremental sales of manufactured goods (covered under the target segment) as mentioned in **Annexure-A**.

5.2.1 The investment thresholds proposed in PLI 2.0 are as under:

Year	**Global Companies (₹ 500 Cr over 6 years)**	**Hybrid (Global/Domestic) Companies (₹ 250 Cr over 6 years)**	**Domestic Companies (₹ 20 Cr over 6 years)**
Year 1	50	25	4
Year 2	150	75	8
Year 3	250	125	12
Year 4	350	175	15
Year 5	450	225	18
Year 6	500	250	20

5.2.2 Investment made in contract manufacturing facilities shall be counted as the investment of the applicant. This flexibility was provided in existing PLI scheme vide amendment W-17/9/2021-IPHW, dated 30th December, 2021 and same will continue.

5.2.3 In PLI 2.0, the applicants shall also be allowed to count incremental investment done by manufacturers of components/sub-assemblies etc. for meeting the incremental investment thresholds for individual year, provided it is established that such manufacturer is exclusively manufacturing components/sub-assemblies for the applicants.

5.2.4 In case there is a shortfall in investment by X% for a particular year, an applicant will get X/2 % less PLI, provided shortfall (X%) is not more than 40%. However, if an applicant is able to achieve cumulative investment target in subsequent year(s) then held back PLI amount will be released without interest.

5.3 Applicants will provide the estimated PLI amount for each year on the basis of their commitments of incremental sales for each year and expected percentage incentive for each year that will depend on company's localization plan and baseline sale.

5.4 Beneficiary of PLI 2.0 shall use firmware for servers from Indian sources or other trusted foreign sources as certified by MeitY.

5.5 Eligibility under the PLI 2.0 shall not affect eligibility under any other Scheme and vice-versa.

6. **Tenure of the Scheme:** Support under the PLI 2.0 Scheme shall be provided for a period of six (6) years.

6.1 The Production Linked Incentive Scheme – 2.0 for IT Hardware shall be open for applications for a period of forty-five (45) days initially which may be extended.

6.2 The PLI 2.0 Scheme may also be reopened for applications anytime during its tenure based on response from the industry.

6.3 For applications received post the initial application period, the applicants shall be eligible for incentives only for the remainder of the Scheme's tenure which will end on 31.03.2031.

7. **Base Year:** Financial Year (FY) 2022-23 shall be treated as the base year for computation of net incremental sales of manufactured goods. If an applicant wants to participate w.e.f. 1.04.2024 or w.e.f. 1.04.2025 then FY 2023-24 and FY 2024-25 shall be treated as the base year for computation of net incremental sales of manufactured goods respectively. However, for the purpose of qualification criteria, FY 2021-22 shall be considered irrespective of year of participation.

8. **Incentive Outlay**

8.1 **Total Incentive:** The expected cumulative incentive outlay under the PLI 2.0 Scheme is as follows:

Financial Year	Total Incentive (₹ Crore
Year 1	321
Year 2	754
Year 3	1,431
Year 4	3,555
Year 5	4,759
Year 6	6,118
Total	**16,939**

Incentives shall be applicable from July 1, 2023 or April 1,2024 or April 1,2025 for 6 years depending upon the applicants' choice to commit incremental investment and incremental sales under the PLI 2.0 Scheme.

Note:

1. The above-mentioned calculations are based on the assumption that all applicants will be starting production from FY 01.07.2023. In case applicants choose to start manufacturing from 1.04.2024 / 1.04.2025, the yearly incentive outgo will shift to subsequent years accordingly.

2. For first year of incentive, eligible sales will be considered for 9 months starting from 1st July, 2023, for which incentive is being claimed. The baseline sales will be considered for the corresponding period of FY 2022-23. In case applicants choose to start manufacturing from 1.04.2024 / 1.04.2025, the baseline sales will be computed accordingly.

8.2 **Incentive Per Company:** The incentive per company shall be applicable on net incremental sales of manufactured goods (covered under the Target Segment) over base year subject to ceiling of ₹ 4,500 Crore for Global companies, ₹ 2,250 Crore for Hybrid (Global/Domestic) companies and ₹ 500 Crore for Domestic companies.

8.3 The estimated PLI amount provided by applicant for individual year will act as ceiling. To keep projection discipline in the scheme, there will be a provision for penalty of 5% from payable PLI amount if actual PLI amount for a year is less by 25%-50% and penalty of 10% if shortfall is more than 50% from the estimated PLI amount given by the applicant at the time of application.

8.4 The applicants may also be able to get incentive more than the ceiling for a particular year provided there is an unutilized incentive available in that particular year subject to overall ceiling of ₹4,500 Crore for Global companies, ₹2,250 Crore for Hybrid (Global/Domestic) companies and ₹500 Crore for Domestic companies. This disbursement shall be done at the end of a financial year. The PLI savings shall be disbursed on pro rata basis. Methodology in this regard shall be detailed out in the scheme guidelines.

9. **Basis of Computation**

9.1 Assessment of incremental investment and net sales of manufactured goods shall be based on details furnished by the applicants to the Ministry / Agencies.

10. **Approval and Disbursement Process**

10.1 Application under the scheme can be made by any company registered in India.

10.2 An initial application, complete in all aspects, with year-wise PLI amount shall have to be submitted before the due date. After that, approval to eligible applicants shall be issued as per the qualification criteria subject to availability of budget outlay fixed for each category i.e., global, Hybrid (Global/Domestic Players) category and domestic category. However, after satisfying requirements of all applicants, if there is a saving then it can be utilized for other categories. The utilization of such savings will neither breach the overall financial outlay nor create fiscal liabilities to be discharged later.

10.3 Incentive shall be released to eligible applicants provided they meet the required eligibility thresholds and their disbursement claims are in order.

10.4 Support under the Scheme shall be provided for a period of Six (6) years starting from 1.07.2023 or 1.04.2024 or 1.04.2025 as opted by the applicants.

11. **Nodal Agency**

11.1 The Production Linked Incentive Scheme – 2.0 for IT Hardware shall be implemented through a Nodal Agency. M/s IFCI Ltd has been appointed as PMA for the existing PLI Scheme for IT Hardware. PMA is responsible for providing secretarial, managerial and implementation support and carrying out other responsibilities as assigned by MeitY from time to time. Detailed constitution, functioning and responsibilities of the PMA will be elaborated in the Scheme Guidelines.

12. **Empowered Group of Secretaries (EGoS)**

12.1 The Empowered Group of Secretaries will monitor and review the overall progress of the PLI 2.0 Scheme. With the approval of EGoS, savings, if any, from one PLI Scheme of an approved sector can be utilized to fund the PLI Scheme of another approved sector (NITI Aayog order F.No. 13(176)2020 I&M (I) dated 20.11.2020.

12.2 EGoS may revise incentive rates, ceilings, target segment(s), list of items for localization, utilization of overall savings, eligibility criteria and relaxation under Force majeure conditions as deemed appropriate during the tenure of the Scheme.

13. **Scheme Guidelines**: PLI 2.0 Scheme guidelines will be issued by Ministry of Electronics and Information Technology separately with the approval of Minister of Electronics and Information Technology.

14. **Amendment of Scheme and Guidelines**: The PLI 2.0 Scheme and its guidelines shall be reviewed and amended periodically or as per requirement with the approval of Minister of Electronics and Information Technology.

AMITESH KUMAR SINHA, Jt. Secy.

Annexure A

Eligibility Threshold Criteria

Category	**Incremental Investment after 31.03.2023**	**Incremental Sales of Manufactured Goods over Base Year**
Global IT Hardware Companies *(i) Laptops (Invoice value of INR 30,000 and above),* *(ii) Tablets (Invoice value of INR 15,000 and above),* *(iii) All-in-One PCs* *(iv) Servers* *(v)* Ultra Small Form Factor (USFF)	**INR 500 Crore over 6 Years** ***Cumulative Minimum*** (Crore): Year 1: INR 50 Crore Year 2: INR 150 Crore Year 3: INR 250 Crore Year 4: INR 350 Crore Year 5: INR 450 Crore Year 6: INR 500 Crore	Year 1: INR 1,000 Crore Year 2: INR 2,500 Crore Year 3: INR 5,000 Crore Year 4: INR 10,000 Crore Year 5: INR 12,000 Crore Year 6: INR 15,000 Crore
Hybrid (Global/Domestic) companies *(i) Laptops (Invoice value of INR 30,000 and above)* *(ii) Tablets (Invoice value of INR 15,000 and above)* *(iii) All-in-One PCs* *(iv) Servers* *(v)* Ultra Small Form Factor (USFF)	**INR 250 Crore over 6 Years** ***Cumulative Minimum*** (Crore): Year 1: INR 25 Crore Year 2: INR 75 Crore Year 3: INR 125 Crore Year 4: INR 175 Crore Year 5: INR 225 Crore Year 6: INR 250 Crore	Year 1: INR 500 Crore Year 2: INR 1,250 Crore Year 3: INR 2,500 Crore Year 4: INR 5,000 Crore Year 5: INR 6,000 Crore Year 6: INR 7,500 Crore

Domestic Companies	***Cumulative Minimum*** (Crore):	
(i) Laptops	Year 1: INR 4 Crore	Year 1: INR 50 Crore
(ii) Tablets	Year 2: INR 8 Crore	Year 2: INR 100 Crore
(iii) All-in-One PCs	Year 3: INR 12 Crore	Year 3: INR 200 Crore
(iv) Servers	Year 4: INR 15 Crore	Year 4: INR 300 Crore
(v) Ultra Small Form Factor (USFF)	Year 5: INR 18 Crore	Year 5: INR 400 Crore
	Year 6: INR 20 Crore	Year 6: INR 500 Crore

Note:

1. For eligibility, Net Incremental Sales of Manufactured Goods (covered under the target segment) irrespective of Invoice Value shall be considered.

2. Domestic Companies shall be defined as those which are owned by resident Indian citizens as defined in the FDI Policy Circular of 2020. *A company is considered as 'Owned' by resident Indian citizens if more than 50% of the capital in it is beneficially owned by resident Indian citizens and/or Indian companies, which are ultimately owned and controlled by resident Indian citizens.*

Annexure B

Items for localization

S. No.	Components/Sub-assemblies	% Incentive
1.	Assembly of IT Hardware – Laptop / Tablets/ AIOs (Year-1/Year-2/Year-3/ Year 4/Year 5/Year 6))	3/2/1/1/1/0
2.	Assembly of IT Hardware – Server / USFF (Year-1/Year-2/Year-3/Year 4/Year 5/Year 6)	3/2/2/1/1/0
3.	PCBA of IT Hardware (Target Segment)	1.20
4.	Add on Controllers assembled in India – (For Servers)	0.41
5.	Bare PCB	0.57
6.	Memory Modules assembled in India	0.95
7.	Memory Modules assembled in India – (For Servers)	1.89
8.	Solid State Drive (SSD) assembled in India	0.95
9.	Display panel – Assembled in India (Not for Servers/USFF)	1.49
10.	Power Adapter / SMPS	0.41
11.	Power Adapter / SMPS – (For Servers)	0.54
12.	Battery	0.41
13.	Cabinets / Chassis / Enclosures	1.49
14.	Memory Modules additional incentive for ATMP in India (over and above incentive for item 6)	+0.25
15.	Memory Modules additional incentive for ICs manufactured in India (over and above incentive for item 6)	+0.25
16.	Memory Modules additional incentive for ATMP in India (over and above incentive for item 7) (For Servers)	+0.50
17.	Memory Modules additional incentive for ICs manufactured in India (over and above incentive for item 7) – (For Servers)	+0.50
18.	Solid State Drive (SSD) additional incentive for ATMP in India (over and above incentive for item 8)	+0.25
19.	Solid State Drive (SSD) additional incentive for ICs manufactured in India (over and above incentive for item 8)	+0.25
20.	Display Panel – Additional incentive for ICs manufactured in India (over and above incentive for item 9)	+0.60
21	System on Chip (SoC) Processors designed in India (IP ownership/Co-ownership in India) including but not limited to SHAKTI and VEGA (IC manufactured outside India) for Laptop, Tablet, AIO and Server/USFF)	+3.24/3.78
22.	System on Chip (SoC) Processors designed in India - Additional incentive for ATMP/ICs manufactured in India (over and above incentive for item 21) for Laptop, Tablet, AIO and Server/USFF)	+1.49/1.62

Note: Battery localization is not part of localization schedule for All-in-One PCs, USSF and Servers.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA